राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.वी.29(2)(1)स्थापन/ब–I/2011(पार्ट)/ जयपुर, दिनांकः 11.04.2017

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
एवं
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,
औटोमेटिव ड्राईवर ट्रेनिंग एण्ड स्किल इन्स्टिट्यूट,
नसीराबाद रोड, माखुपुरा, अजमेर।

विषयः– पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर मे ड्राईवर की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के सिमूलेटर टेस्ट आयोजित कराये जाने बाबत्।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रंमाक एफ 5/मुख्या./यात्रिंक/प्रशि./2017/1004 दिनांक 24.03.2017 के क्रम मे।

पशुपालन विभाग राजस्थान मे वाहन चालक की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का सिमूलेटर टेस्ट लिये जाने के सम्बन्ध मे प्रांसगिक पत्रानुसार प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 151700368 दिनांक 28.03.2017 से प्राप्त सहमति अनुरूप निम्न शर्तों पर अभ्यर्थियों का आप की संस्था Automated Drivers Training Testing & Skill Institute, नसीराबाद रोड, माखुपुरा, अजमेर (IL&FS) पर सिमूलेटर टेस्ट सम्पादित कराने का श्रम करें:–

1. वाहन चालक भर्ती हेतु लगभग 10,500 अभ्यर्थियों का सिमूलेटर टेस्ट आयोजित किया जाना है।
2. प्रथम तीन सप्ताह के लिये 50 अभ्यर्थी प्रतिदिन आमंत्रित किये जावेगे। एक सप्ताह की समीक्षा उपरान्त ही अभ्यर्थियों की संख्या मे परिवर्तन किया जा सकेगा।
3. अभ्यर्थियों को प्रतिदिन प्रातः 08:45 बजे व मध्याह्नः 01:30 बजे 25 – 25 के दो दलों में बुलाया जावेगा।
4. तिथिवार अभ्यर्थियों की सूची हार्ड/सॉफ्ट कॉपी में IL&FS केन्द्र को एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध करा दी जावेगी।
5. विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विवरण का मिलान करने के उपरान्त IL&FS द्वारा उनका पंजीयन किया जावेगा।
6. IL&FS केन्द्र द्वारा अभ्यर्थियों के उपस्थिति पत्र में हस्ताक्षर करवायें जावेगे, जिसको विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किया जावेगा।
7. सिमूलेटर टेस्ट की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को टेस्ट से पूर्व सम्पूर्ण जानकारी IL&FS केन्द्र के द्वारा दी जावेगी। सिमूलेटर मशीन एवं उसके मापदण्डों/परिस्थितियों से सम्बन्धित मुख्य–मुख्य बिन्दुओं की जानकारी IL&FS द्वारा पम्पलेट के माध्यम से भी दी जावेगी।
8. प्रतिदिन सिमूलेटर टेस्ट की व्यवस्थायें सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु IL&FS द्वारा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर पूर्णकालिक रूप से दोनो शिफ्ट में उपलब्ध कराया जावेगा। जो अभ्यर्थियों के विवरण तथा फीस के रूप में प्राप्त भारतीय पोस्टल आर्डर को कम्प्यूटर में दर्ज करने का कार्य सम्पादित करेगा।
9. प्रत्येक अभ्यर्थी का समान परिस्थितियों में पूर्ण निष्पक्षता के साथ टेस्ट लिया जावेगा, जोकि आरम्भ से अन्तिम अभ्यर्थी के टेस्ट देने तक समान स्थिति ही रहेगी। प्रमुख मापदण्ड इस प्रकार रखे जाने हैः–
   i. मध्यम ट्रेफ्रिक रखा जावेगा।
   ii. 7 मिनट प्रत्येक अभ्यर्थी को सिमूलेटर टेस्ट के लिये उपलब्ध करावे जावेगें।
   iii. गाड़ी की टक्कर (Crash) उपरान्त सिमूलेटर टेस्ट समाप्त हो जावेगा। ऐसी स्थिति मे सिमूलेटर मशीन द्वारा अभ्यर्थी को कुल 20 अंक ही प्रदान किये जावेगें।

Visit letter

10. सिमूलेटर मशीन के ब्रेक डाउन की स्थिति मे, मशीन को दुरस्त होने मे लगने वाले समय बाबत् तुरन्त विभाग को सूचित करना होगा ताकि आगामी अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित किया जा सके।
11. टेस्ट पूर्ण होने पर कम्प्यूटर द्वारा जनरेट होने वाली स्कोर शीट पर अभ्यर्थी, केन्द्र के प्रतिनिधी एवं विभाग के अधिकारी हस्ताक्षर करेगें एवं उक्त स्कोर शीट को IL&FS केन्द्र पर सुरक्षित रखा जावेगा। जिसे आगामी सोमवार/आगामी कार्यदिवस को निदेशालय द्वारा अधिकृत विभाग के अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेगा।
12. IL&FS द्वारा सिमूलेटर टेस्ट के दौरान विद्युत सप्लाई न होने की स्थिति में जनरेटर द्वारा विद्युत सप्लाई की जावें।
13. IL&FS द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ अभ्यर्थियों की सत्यापित उपस्थिती की सूची संलग्न करनी होगी।
14. उक्त बाबत् द्विपक्षीय अनुबंध रूपये 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर उक्त शर्त संख्या 01 से 13 का वर्णित करते हुए निष्पादित कराने का श्रम करावें।

(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक एफ.वी.29(2)(1)स्थापन/ब-I/2011(पार्ट)/1590-94 जयपुर, दिनांक: 11.04.2017

प्रतिलिपी:-

1. शासन उप सचिव, पशुपालन, जयपुर।
2. Assistant Vice President, IL&FS Skill Development Corporation LTD. Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer.
3. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. ACP, कम्प्यूटर सेल, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर को कार्य आदेश वेबसाइट पर एकल स्त्रोत उपापन के रूप में अपलोड करने बाबत्।
5. रक्षित पंजिका।

(डॉ. महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)

Visit letter